# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर0ए0एस0)

**अपील संख्या :— 51/2016 (225 आर0टी0एक्ट0)**
**आरसीएमएस संख्या :— 2016/00097**

**उनवान :—**

रामनारायण पुत्र श्री नत्थी जाति ब्राहम्ण निवासी मौरोली डांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

**बनाम**

देवकीनन्दन पुत्र श्री नत्थी जाति ब्राहम्ण निवासी मौरोली डांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 22.05.14 प्र0स0 203/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास ।

**अपील संख्या :— 45/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)**
**आरसीएमएस संख्या :— 2016/00095**

**उनवान :—**

रामनारायण पुत्र श्री नत्थी जाति ब्राहम्ण निवासी मौरोली डांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

**बनाम**

देवकीनन्दन पुत्र श्री नत्थी जाति ब्राहम्ण निवासी मौरोली डांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 15.06.2016 प्रकरण संख्या 178/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास।

अभिभाषकगण :—

1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :–09.04.2019

1. यह दोनों अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक क्रमशः 22.05.2014 एवं 15.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। चूँकि दोनों अपीलो में विवादित आराजी एवं पक्षकार एक समान हैं इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. अपील संख्या 51/2016 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 24 कुल रकवा 28 बीघा 17 विस्वा वाके ग्राम मौरोली डांग तहसील रूपवास में स्थित है। जिसमें वादी/रैस्पो0 एवं प्रतिवादी/अपीलाण्ट वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं एवं दोनों सगे भाई हैं। उक्त विवादित आराजी उनके पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुयी है। जिसका कानूनन विभाजन नहीं हुआ है। वादी/रैस्पो0 का प्रतिवादी/अपीलाण्ट के साथ शामिल काश्त करना सम्भव नहीं हो रहा है। वादी/रैस्पो0 ने प्रतिवादी/अपीलाण्ट से जब विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन हेतु कहा तो वह साफ इंकारी हो गया एवं सरेआम विवादित आराजी पर कब्जा कर किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी देने लगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी/अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण, बाद सुनवाई वादी/रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र, ता फैसला दावा पुष्ट कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. दूसरी अपील संख्या 45/2016 के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 24 रकवा 28 बीघा 17 विस्वा वाके ग्राम मोरोली डांग तहसील रूपवास में स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी समभाग के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। उक्त विवादित आराजी उन्हें उनके पिता नत्थी से विरासत में प्राप्त हुयी है। वादी व प्रतिवादी मनवट के हिसाब से विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। वादी/रैस्पो0 ने प्रतिवादी/अपीलाण्ट से विवादित आराजी का कानूनन विभाजन कराने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गया। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करते हुये, पृथक से खाता कायम कर प्रतिवादी/अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी/रैस्पो0 के हिस्से की आराजी के उपयोग–उपभोग में किसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार रूपवास को कुर्रे प्रस्ताव तलब करने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

4. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश NON SPEAKING आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों घटक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। कानूनी प्रावधानों के तहत एक रिकार्डेड खातेदार को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01, 02, 03, 04 का निर्णय रिकार्ड के विपरीत किया है। अपीलाण्ट ने अपने जवाब दावे में स्पष्ट अंकित किया है कि मौके पर दोनों पक्षों में आपस में बॅटवारा हो चुका है और मनवट के आधार पर दोनों पक्ष मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अपीलाण्ट के जवाब पर गौर नहीं करते हुये निर्णय पारित किया जिसमें कब्जे के बाबत् भी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय को मनवट के आधार पर कब्जे को ध्यान में रखते हुये कुर्रे प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार रूपवास को निर्देशित करना चाहिये था। अतः दोनों अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेशों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के दोनों अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही हैं। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जिस पर अपीलांट एवं रैस्पो0 दोनों वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी के बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराने से इंकारी होने के कारण वादकारण पैदा हुआ है। अधीनस्थ न्यायानय नक दौराने वाद विवादित आराजी की स्थिति में परिवर्तन होने से अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढने की आशंका को देखते हुये रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं, जो उचित ही हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों की साक्ष्य व दस्तावेजी से विवेचना की जाकर तनकीवार, तार्किक निर्णय पारित किया है। रैस्पो0 विवादित आराजी में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार हैं एवं विवादित आराजी के बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विभाजन कराने का हकदार है। अतः दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवदेन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु चार तनकियॉ निर्धारित की हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

8. <u>तनकी संख्या 01</u> **''आया वादपत्र की खण्ड संख्या 01 में वर्णित आराजी वाके ग्राम मोरोली डॉग तहसील रूपवास में स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है''** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2066–69 में अंकित विवादित आराजी पर वादी–प्रतिवादी संयुक्त रूप से वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। अतः वादी विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के तनकी निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। तनकी वहक रैस्पो0/वादी सिद्ध होती है।

9. <u>तनकी संख्या 02 व 03</u> **''आया वादी को प्रतिवादी ने दिनांक 17.08.2013 को शामिल काश्त न करने की धमकी दी एवं आया वादी विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराने का अधिकारी है''** तनकी संख्या 02 कॉज ऑफ एक्शन प्रतिवादी द्वारा धमकी दिए जाने बाबत् तकनीकी तनकी है। चूंकि तनकी 01, प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित हुई है। अतः तनकी संख्या 02 व 03 भी अधीनस्थ न्यायालय ने उचित तौर पर प्रतिवादी के खिलाफ निर्णित की है।

10. <u>तनकी संख्या 04</u> **''जवाब दावा की मद संख्या 07 के अनुसार वादी व प्रतिवादी के मध्य पूर्वजो के समय से ही बॅटवारा हो चुका है। तभी से अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं''** चूंकि प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कथित बाहमी विभाजन बाबत् कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मौखिक कथन प्रभावहीन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

11. <u>अनुतोष</u> – अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है एवं प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम पाते हैं कि; दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने एवं वादकरण की जटिलता व बहुलता से बचने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश भी निरापद है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक क्रमशः 22.05.2014 एवं 15.09.2016 यथावत रखें जाते हैं। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

13. निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official